(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2021/429

मुकदमा नम्बर 145/2021

(नत्थू बनाम प्रहलाद वगै0)

दावा – घोषणार्थ,रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी सिविल नेचर का होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण आवेदक/प्रतिवादी का प्रा. पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। लिहाजा प्रार्थी /प्रतिवादी का प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

जन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।.

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी जयसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 145/2011

नत्थू बनाम प्रहलाद आदि

वादः घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी–श्री अमर सिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी –श्री सुमेर सिंह

आदेश

दिनांक 13-5-24

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण में वादी की रिलीफ मद संख्या 14क में निर्ण व डिक्री दिनांक 16.04.1994 को शून्य करार देने के लिये तथा अन्य अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य अनुतोष पूर्व में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.1994 को शून्य करार देने का है उक्त डिक्री को शून्य करार दिये बिना अन्य को अनुतोष नही दिया जा सकता है।

राजस्व न्यायलय की डिक्री शून्य करार देने की अधिकारिता समक्ष दीवान न्यायालय को ही प्राप्त होती है। उक्त राजस्व न्यायालय पूर्व में अपने द्वारा दिये गये किसी निर्णय डिक्री को किसी को किसी बाद के वाद में किसी दूसरे वाद पत्र के जरिये न तो शून्य करार दिया जा सकता है और ना ही डिक्री को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित राजस्व न्यायालय अपील अधिकारी के अलावा केवल दीवानी न्यायालय ही शून्य करार निरस्त कर सकता है।

जब उक्त अदालत हाजा को इस प्रकरण को श्रवणाधिकारी का अधिकार प्राप्त नही है तो ऐसे प्रकरण को लम्बित रहने का कानूनी औचित्य नही है। प्रकरण लम्बित रहने से प्रतिवादीगण का समय बबार्दद होता है साथ ही न्यायालय का भी समय बर्बाद होता है।

प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र श्री पूर्णमल, प्रतिवादी संख्या 3 परमेश्वरी बेवा बुद्धराम, प्रतिवादी संख्या 19 कैलाश पु रेखाराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 03 परमेश्वरी बेवा बुद्धराम की मृत्यु दिनांक 29.10.2019 को हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 19 की मृत्यु वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व हुई है कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ वाद पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 12.10.2021 को हो चुकी है। वादी द्वारा प्रहलाद के कायम मुकाम आज तक न्यालालय में प्रस्तुत नही किये गये है जो कानूनन 90 दिवस में प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी वाद मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है बिना सिकी कानून की पालना किये, बिना किसी तलबी के वाद संख्या 61/92 का मिलीभगत कर सांठगांठ कर, गुण–अवगुण के आधार पर डिक्री प्राप्त नही की है जो वादी के अधिकारों के खिलाफ शुरू से बेअसर व शून्य है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही, न की सिविल न्यायालय को है। चूंकि वाद–पत्र वादी की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

खातेदारी अधिकारों से सम्बन्धित होने के कारण से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण क्षैत्राधिकार इस तहर से वाद तृतीय अनुसूची के अनुसार घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय ही सुनवाई करने के लिए अधिकृत है जिसके सम्बन्ध में विभिन्न नाजीर न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत की गई है इसी प्रकार माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा "नारायणी बनाम डालचंद आर.आर.टी. 2011 पार्ट 1, पेज नम्बर 181" में हैल्ड किया है कि चूंकि खातेदारी अधिकारों से सम्बन्धित वाद सिर्फ राजस्व न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार है। वादी अपने प्रोपराईटरी राईट के लिए खातेदारी की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया है जो अपने अधिकारों के लिए पूर्व में पारित शून्य डिक्री वादी के अधिकारों के खिलाफ कानूनी रूप से वैध नही होने के कारण से शुरू से शून्य है। वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तथा अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में राजस्व न्यायालय बॉर्ड नही है जबकि एक्सक्लयूटिव क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

प्रहलाद पुत्र पूर्णमल, परमेश्वरी बेवा बुद्धराम, कैलाश की फौत होने की रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वरी पत्नी पूर्णमल का नाम हजब करवाने के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 तथा 19 के वारिसान को वाद–पत्र में पक्षकार बनाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी का पूर्व मे ही प्रस्तुत कर दिया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील आवेदक प्रतिवादीगण द्वारा नजीर के रूप में सिविल प्रक्रिसर संहिता की धारा 11 पृष्ठ संख्या 39 तथा 2011(1)आरआरटी पृष्ठ संख्या 188 न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया तथा वकील अनावेदक वादीगण द्वारा नजीर के रूप में आर.आर.डी 1978 चिमन बनाम ईस्लाम तथा आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ संख्या 188 नारायणी बनाम डालचंद आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत नजीर व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

वकील आवेदक (प्रतिवादी) द्वारा कथन किया है कि प्रकरण में वादी की रिलीफ मद संख्या 14क में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.1994 को शून्य करार देने एव अन्य अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है। मुख्य अनुतोष पूर्व में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.1994 को शून्य करार देने का है उक्त डिक्री को शून्य करार दिये बिना अन्य को अनुतोष नही दिया जा सकता है। राजस्व न्यायलय की डिक्री शून्य करार देने की अधिकारिता समक्ष दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त होती है। राजस्व न्यायालय पूर्व में अपने द्वारा दिये गये निर्णय डिक्री को बाद के वाद में किसी दूसरे वाद पत्र के जरिये न तो शून्य करार दिया जा सकता है, ना ही डिक्री को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित राजस्व न्यायालय अपील अधिकारी के अलावा केवल दीवानी न्यायालय ही शून्य करार निरस्त कर सकता है। जब प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र श्री पूर्णमल, प्रतिवादी संख्या 3 परमेश्वरी बेवा बुद्धराम, प्रतिवादी संख्या 19 कैलाश पु रेखाराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 03 परमेश्वरी बेवा बुद्धराम की मृत्यु दिनांक 29.10.2019 को हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 19 की मृत्यु वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व हुई है कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ वाद पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 12.10.2021 को हो चुकी है। वादी द्वारा प्रहलाद के कायम मुकाम प्रस्तुत नही हुये है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

वकील अनावेदक वादीगण द्वारा जवाब बहस में जवाब में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि बिना किसी कानून की पालना किये, बिना किसी तलबी के वाद संख्या 61/92 का मिलीभगत कर सांठगांठ कर, गुण–अवगुण के आधार पर डिक्री प्राप्त नही की है जो वादी के अधिकारों के खिलाफ शुरू से बेअसर व शून्य है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही, न की सिविल न्यायालय को है। वाद–पत्र वादी की खातेदारी अधिकारों से सम्बन्धित होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार इस तरह से वाद तृतीय अनुसूची के अनुसार घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय ही सुनवाई करने के लिए अधिकृत है जिसके सम्बन्ध में विभिन्न नाजीर न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत की गई है इसी प्रकार माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा "नारायणी बनाम डालचंद आर.आर.टी. 2011 पार्ट 1, पेज नम्बर 181" में हैल्ड किया है कि चूंकि खातेदारी अधिकारों से सम्बन्धित वाद सिर्फ राजस्व न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार है। वादी अपने प्रोपराईटरी राईट के लिए खातेदारी की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया है जो अपने अधिकारों के लिए पूर्व में पारित शून्य डिक्री वादी के अधिकारों के खिलाफ कानूनी रूप से वैध नही होने के कारण से शुरू से शून्य है। वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तथा अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में राजस्व न्यायालय बॉर्ड नही है जबकि एक्सक्लयूटिव क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगाः–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के दैने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वकील उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। अनावेदक (वादी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त वाद पर चस्पा नही होते हैं। उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादी की रिलीफ मद संख्या 14क में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.1994 को शून्य करार देने एव अन्य अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया है। मुख्य अनुतोष पूर्व में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.1994 को शून्य करार देने का है उक्त डिक्री को शून्य करार दिये बिना अन्य को अनुतोष नही दिया जा सकता है। राजस्व न्यायलय की डिक्री शून्य करार देने की अधिकारिता समक्ष दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त होती है। राजस्व न्यायालय पूर्व में अपने द्वारा दिये गये निर्णय डिक्री को बाद के वाद में किसी दूसरे वाद पत्र के जरिये न तो शून्य करार दिया जा सकता है, ना ही डिक्री को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित राजस्व न्यायालय अपील अधिकारी के अलावा केवल दीवानी न्यायालय ही शून्य करार निरस्त कर सकता है। जब एक विवाद वस्तु पर पूर्व से ही निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

हुआ हो तो उसी विवाद वस्तु के लिए पुनः निर्णय की आवश्यकता नही होती है। इस प्रकार उक्त वाद सिविल नेचर का होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण आवेदक प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सीपीसी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है। लिहाजा प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पोषणीय होने स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जायदा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 13-5-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

21/5/24

Scanned with CamScanner